विविध सिविल

डी. एस. तेवतिया जे. के समक्ष

राम सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी।

1977 की सिविल रिट याचिका संख्या 3248

16 दिसंबर 1977.

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम (1973 का 24) - धारा 4(1) और (2) - क्षेत्र को एक समिति की नगरपालिका सीमा के भीतर लाने की मांग की गई - क्षेत्र को शामिल करने के राज्य के इरादे को सूचित करने के 'ऐसे अन्य तरीके' के संबंध में धारा 4(1) के प्रावधान - चाहे अनिवार्य हो।

अभिनिर्णीत किया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा 2 में अपने क्षेत्र को नगरपालिका सीमा में शामिल करने से प्रभावित व्यक्तियों को लिखित रूप में अपनी आपत्तियां दर्ज करने की आवश्यकता है। प्रभावित व्यक्ति समय रहते अपनी आपत्तियां तभी दर्ज करा सकते हैं, जब उन्हें अधिसूचना के बारे में समय पर अवगत करा दिया जाए। जैसा कि हर कोई जानता है कि साक्षर लोगों को भी किसी अधिसूचना के अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलता है, अशिक्षित ग्रामीणों से इन तथ्यों को जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो उन्हें ऐसे प्रचार के बिना प्रभावित करते हैं जैसा कि माना जा सकता है। सड़क पर किसी व्यक्ति को इसके अस्तित्व के बारे में सूचित करने के लिए पर्याप्त है। जहां कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है, प्रभावित व्यक्तियों को जानकारी देने के उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी दिए गए तरीके से प्रकाशन की आवश्यकता वाले प्रावधान को अनिवार्य माना जाना चाहिए। अन्य के संबंध में धारा 4(1) के प्रावधान; इसलिए, राज्य के इरादे को सूचित करने का तरीका अनिवार्य है। (पैरा 4).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि अधिसूचना अनुबंध "पी-1" और अनुबंध "पी-2" को रद्द किया जाए। आगे प्रार्थना करते हुए कि वह अनुलग्नक "पी-1" और वी अनुलग्नक "पी-2" के संचालन पर रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक रोक लगा सकते हैं और रिट क्षेत्राधिकार नियमों के नियम 20(2) से उन्हें छूट दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील जी.एस. संधू।

उत्तरदाताओं के लिए एच.एस. गिल, डी.ए. हरियाणा।

राम सिंह, आदि बनाम हरियाणा राज्य (डी. एस. तेवतिया, जे.)

आदेश

वी. डी. एस. तेवतिया, जे.–(मौखिक) जे.

(1) याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका अधिसूचना अनुलग्नक 'पी-एल' और 'पी-2' में आपत्ति जताई है। अधिसूचनाएं अनुबंध 'पी-1' और 'पी-2' -हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 की क्रमशः उप-धारा (1) और (3) के तहत जारी की गई हैं। '), जिससे उनकी भूमि और उनके द्वारा बसाए गए गांव को यमुना-नगर नगरपालिका समिति की नगरपालिका सीमा के भीतर लाने की मांग की गई। अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) (अनुलग्नक 'पी-एल') के तहत अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसके प्रकाशन के संबंध में. धारा 4 की उपधारा (1) के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में हैं:

“4. नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन करने के इरादे की अधिसूचना.

"(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसे अन्य तरीके से, जो वह निर्धारित कर सकती है, किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका के भीतर शामिल करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है। उसी के आसपास और अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।”

यहां तक कि उपरोक्त प्रावधान का एक आकस्मिक अवलोकन भी किसी भी संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि नगरपालिका के भीतर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को शामिल करने का इरादा न केवल सरकारी अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाना था, बल्कि यह भी है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य तरीके से सूचित किया जाए। इस बात से इनकार किया जाता है कि उक्त आशय, विवादित अधिसूचना के माध्यम से घोषित होने के अलावा, किसी अन्य तरीके से अधिसूचित किया गया था।

(2) राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री एच.एस. गिल ने यह रुख अपनाया है कि राज्य के इरादे को सूचित करने के अन्य तरीके के संबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) की आवश्यकता केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं।

(3) मुझे डर है कि राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क में कोई दम नहीं है।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में अपने क्षेत्र को नगरपालिका सीमा में शामिल करने से प्रभावित व्यक्तियों को प्रकाशन के छह सप्ताह के भीतर उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को लिखित रूप में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना। प्रभावित व्यक्ति समय रहते अपनी आपत्तियां तभी दर्ज करा सकते हैं, जब उन्हें अधिसूचना के बारे में समय पर अवगत करा दिया जाए। जैसा कि हर कोई जानता है कि साक्षर लोगों को भी अधिसूचना के अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलता है, अनपढ़ ग्रामीणों के बारे में क्या बात की जाए, इसलिए इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि जहां कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है, वहां कानून नागरिकों को प्रभावित करता है। ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जिसे सूचित करने के लिए पर्याप्त माना जा सके; सड़क पर किसी व्यक्ति के लिए इसके अस्तित्व के बारे में, और नागरिकों को प्रभावित करने वाले तथ्य के प्रकाशन की आवश्यकता वाले किसी भी प्रावधान को प्रभावित व्यक्तियों को जानकारी देने के उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तरीके से अनिवार्य माना जाना चाहिए।5) चूंकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के गांव के क्षेत्र को नगरपालिका समिति की नगरपालिका सीमा के भीतर शामिल करने का इरादा केवल एक अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया गया था और अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा परिकल्पित अन्य तरीकों से अतिरिक्त नहीं, अधिसूचना अनुबंध पी-1 स्पष्ट रूप से दूषित है और इसलिए उस पर की गई कोई भी अंतिम कार्रवाई स्पष्ट रूप से दूषित है और इस कारण से अधिसूचना अनुबंध पी-2 भी दूषित है। इसलिए, दोनों अधिसूचनाएँ अवैध हैं और इसलिए रद्द कर दी गईं।

(6) निर्णय से अलग होने से पहले यह देखा जा सकता है कि यदि राज्य सरकार को सलाह दी जाए तो वह कानून के अनुसार नई अधिसूचनाएं जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी। याचिकाकर्ताओं को अपनी लागत चुकानी होगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy
Chandigarh